रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 637] नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 2006/ज्येष्ठ 31, 1928

No. 637] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 2006/JYAISTHA 31, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2006

का.आ. 924(अ).—यह कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा निर्धारित ढंग से और निर्धारित अवधि के भीतर विदेशी अभिदाय को स्वीकार करना, इसके स्रोत, तरीके और उपयोग के बारे में सूचित करना अपेक्षित है;

और यह कि बड़ी संख्या में संस्थाएं तीन वर्षों नामतः 2001-02, 2002-03 और 2003-04 से सम्बन्धित लेखों को प्रस्तुत करने में असफल रहीं और इस प्रकार उन्होंने विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियमावली, 1976 के नियम 4 के खण्ड (क) और इसके अंतर्गत बने नियमों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है;

और यह कि विधि की उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के उपरांत, केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र के भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित दिनांक 18 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1621 (अ) के तहत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन संस्थाओं को पूर्व-अनुमति श्रेणी में रखा;

और यह कि कुछ संस्थाओं से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर यह नोटिस किया गया कि कुछ संगठनों ने निर्धारित लेखों को प्रस्तुत कर दिया है, कुछ ने लेखों की प्रतियों सहित उपयुक्त अवधि के लिए लेखे भेजने या प्रस्तुत करने का सबूत प्रस्तुत किया है और उनमें से कुछ जिन्होंने कई पंजीकरण नम्बर प्राप्त किए हुए हैं या जिन्हें ये नम्बर दिए गए हैं, उनके द्वारा इन कई पंजीकरण नम्बरों में से केवल एक के वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए गए थे;

अब, इसलिए, विधिवत् रूप से विचार करने के उपरांत, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देती है कि ऐसी संस्थाएं, जो लेखों की प्रतियों के साथ तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के निर्धारित वार्षिक लेखों के प्रस्तुतीकरण का सबूत प्रस्तुत करती हैं, या कई पंजीकरण नम्बर रखने का सबूत प्रस्तुत करती हैं और जिन्होंने उनमें से एक जो परिचालन में है, उसका रिटर्न प्रस्तुत किया है, या उक्त अवधि के वार्षिक लेखे भेज दिए हैं या अब 31 दिसम्बर, 2006 को या उससे पहले भेजेंगे, को उक्त अधिसूचना के नियमों से छूट दी जाएगी। कई पंजीकरण नम्बरों के मामले में, जिस पंजीकरण के लिए लेखे प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं, ऐसे कई पंजीकरणों का सबूत प्रस्तुत किए जाने के उपरांत उन्हें रिकार्ड से हटा दिया जाएगा । जिन संस्थाओं को छूट दी गई है उनकी सूची गृह मंत्रालय की वेब साइट एचटीटीपी://एम एच ए. एन आई सी. आई एन/एफ सी आर ए. एच टी एम. पर उपलब्ध करवाई जाएगी ।

[सं. II/21022/52(25)/2005-एफ सी आर ए-II (एम यू)]

डी. एस. मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2006

S.O. 924(E).—Whereas associations registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976), are required to furnish intimation about the acceptance, source, manner and utilization of foreign contribution in the prescribed manner and within the prescribed period.

And whereas a large number of associations had failed to furnish accounts pertaining to three years namely 2001-02, 2002-03, and 2003-04 and thereby contravened the provisions of Sub-section (1) of Section 6 of the said Act read with clause (a) of rule 4 of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 1976 made thereunder;

And whereas after following the due process of law, the Central Government, in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (1) of Section 6 of the said Act had placed these associations in the prior permission category, *vide* notification number S.O. 1621 (E) published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 18th November, 2005;

And whereas on the basis of representations received from some of the associations, it is noticed that some organizations have submitted the prescribed accounts, some have submitted proof of sending or furnishing of accounts for the relevant period alongwith the copies of accounts and some of them, have either obtained or were granted multiple registration numbers, had been submitting annual accounts for only one of these multiple registration numbers;

Now, therefore, after due consideration, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 31 of the said Act hereby orders that such associations, which submit proof of submission of the prescribed annual accounts for three years, that is, 2001-02, 2002-03 and 2003-04 along with the copies of the accounts, or submit proof of having multiple registration numbers and having submitted returns for one of those which is operational, or have since furnished or now furnish on or before 31st December, 2006, annual accounts for the said period shall stand exempted from the said notification. In the case of multiple registration numbers, the registration for which accounts are not being submitted shall stand deleted from records after proof for such multiple registration is submitted. The list of the associations which are exempted shall be made available on the website of the Ministry of Home Affairs that is http://mha.nic.in/fcra.htm.

[No. II/21022/52(25)/2005-FCRA-II (MU)]

D. S. MISHRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.